प्र०कं० २०/२०१३ क्लेम

न्यायालयः— अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः—डी०सी० थपलियाल)

<u>प्र0क0 20 / 2013 क्लेम</u> संस्थित दिनांक 19.07.2013

- 1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. लालाराम उम्र 38 साल।
- 2. कल्लू पुत्र स्व. लालाराम उम्र 20 वर्ष।
- 3. छोटू पुत्र स्व. लालाराम उम्र 15 वर्ष।
- 4. कुमारी पूजा पुत्री स्व. लालाराम उम्र 12 वर्ष।
- 5. गंजू पुत्र स्व. लालाराम उम्र 10 वर्ष।
- 6. सुनीता पुत्री स्व. लालाराम उम्र ८ वर्ष।
- 7. रामबाबू पुत्र स्व. लालाराम उम्र ३ वर्ष। नावालिग सरपरस्त आवेदक क्र. लगायत ७ की मॉ लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. लालाराम जाति मोची निवासीगण ग्राम चकतुकेडा थाना मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.।

.....आवेदकगण

बनाम

- मुस्ताक खॉ पुत्र कासिम खॉ उम्र 48 वर्ष।
 निवासी ग्राम शेरपुर थाना एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.।
- 2. हजारीसिंह तोमर पुत्र बहादुरसिंह तोमर निवासी वार्ड न0 7 जालोनी रोड अम्बाह तहसील अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.।
- शाखा प्रबंधक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड सिटी ब्रांच ऑफिस 3/3, 131/11 जोन 11 एम.पी. नगर भोपाल म.प्र. पिन न. 462011

.....बीमाकंपनी / अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता । अनावेदक क0—1 व 2 द्वारा श्री के.पी.राठौर अधि० । अनावेदक क0—3 द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता।

// अधि— निर्णय // (आज दिनांक 20—2—15 को घोषित किया गया)

- 01. आवेदकगण / याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है जिसमें आवेदकगण ने मोटरयान दुर्घटना में मृतक लालाराम की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उसके वारिस एवं विधिक प्रतिनिध होने के आधार पर टैक्टर क्रमांक एम.पी. 06 ए.ए 6378 के चालक, स्वामी एवं बीमा कम्पनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की राशि रूपए 32,64,000 / दिलाए जाने बावत् पेश किया गया है।
- 02. यह अविवादित है कि वाहन टैक्टर कमांक एम.पी. 06 ए.ए. 6378 अनावेदक कमांक 2 के स्वामित्व का है।
- 03. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 15.04.2013 को शाम सात बजे मृतक लालाराम अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पैदल चलकर तुकेंडा जा रहे थे, जैसे ही गुरीखा तिराहे के पास पहुँचे तभी ग्वालियर की तरफ से अनावेदक कमांक 1 अपने टैक्टर कमांक एम.पी. 06 ए.ए 6378 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और रोड के किनारे चल रहे लालाराम को पीछे से टक्कर मार दी जिससे लालाराम के सिर में चोट होकर खून बहने लगा और शरीर में अन्य जगह चोटें आई, वह वेहोश होकर गिर पड़ा। टैक्टर चालक अनावेदक कमांक 1 टैक्टर को भगाकर गोहद की तरफ ले गया। लालाराम को जीप में रखकर इलाज हेतु गोहद लाया गया जिसे दिनांक 16.04.2013 को ग्वालियर रिफर किया गया जहाँ कि इलाज के दौरान दिनांक 17.04.2013 को उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट कम्पू थाने में दर्ज कराई गई। प्रकरण में विवेचना उपरांत धारा 304ए भा0दं0वि0 का अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक लालाराम की उम्र 40 वर्ष की थी और वह जूतों की मरम्मत कर के प्रतिदिन पांच सौ रूपए आमंदनी अर्जित कर लेता था। इस प्रकार मासिक

पंन्द्रह हजार रूपए आय अर्जित कर लेता था, इसी से उसके परिवार का भरण—पोषण होता था और आवेदकगण उसी पर आश्रित थे। इसके अतिरिक्त उनकी असमायिक मृत्यु होने से आवेदकगण अनाश्रित हो गए है। इसके अतिरिक्त मृतक लालाराम की मृत्यु के पूर्व उन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाने एवं दवाई आदि में 54,000/— रूपए व्यय हुए। लालाराम की मृत्यु होने से उसकी पत्नी आवेदक क्रमांक 1 दाम्पत्य सुखों से बंचित हो गई है, इस मत में एक लाख रूपए एवं शारीरिक और मानसिक पीडा और अंतिम संस्कार में लगे हुए व्यय सिहत कुल 32,64,000/— रूपए प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगण से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

05. अनावेदक कमांक 1 व 2 ने स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदकगण के आवेदनपत्र के शेष अभिकथनों को इंनकार किया है। उन्होंने यह बताया है कि दिनांक 15.04. 2013 को अनावेदक कमांक 2 के वाहन से अनावेदक कमांक 1 की लापरवाही से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, झूटें आधारों पर अनावेदक कमांक 2 के वाहन के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई है। मृतक किसी प्रकार से कोई आमंदनी अर्जित नहीं करता था, बल्कि आवेदकगण ही उसका भरण—पोषण करते थे। मृतक की पांच सौ रूपए प्रतिदन आमंदनी अर्जित करने को उनके द्वारा गलत बताया गया है। क्लेम आवेदनपत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

06. अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा भी अपने जबाव में आवेदकगण के आवेदनपत्र के अभिवचनों को इंनकार करते हुए प्रश्नाधीन टैक्टर को उसके चालक की तेजी व लापरवाही से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होने से इंनकार किया है। वाहन को बाद में षड्यंत्र पूर्वक झूटा फंसाया है। मृतक की उम्र 40 वर्ष होने के संबंध में तथा उसकी आमंदनी अर्जित करने की बात भी गलत रूप से लिखाई जानी बताई गई है। अतिरिक्त आपत्ति में बीमा कम्पनी के द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर दाली बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत चलाया जा रहा था। उपरोक्त वाहन को चलाने हेतु टैक्टर दाली चाहक के पास कोई वैध एवं प्रभावी झाइविंग लाइसेंस भी नहीं था। उक्त वाहन बीमा धारक वाहन स्वामी की सहमति से पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाये जाने से बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है और दाली का भी कोई बीमा नहीं था इस कारण भी बीमा कम्पनी दायित्व से मुक्त है। बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदक एवं अनावेदकगण के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई है जिनके समक्ष निकाले गए निष्कर्ष लेखबद्ध किए है—

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 15.04.2013 को गुरीखा मोड के पास ग्वालियर भिण्ड रोड पर अनावेदक क. 1 के द्वारा टैक्टर लाल रंग का मैसी फर्म्यूशन 1035 जिसका रिजस्ट्रेशन न. एम.पी. 06 ए/ए 6378 को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए लालाराम को टक्कर मारकर चोटें पहुँचाई?	
2	क्या उक्त दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप लालाराम की बाद में दिनांक 17.04.2013 को मृत्यु हुई?	
3	क्या अनावेदक क्रमांक 1 घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी. 06 ए/ए 6378 को बीमा पॉलिसी तथा मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर चला रहा था?	
4	क्या मृतक लालाराम पांच सौ रूपए प्रतिदिन आंमदनी अर्जित करता था?	
5	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है यदि हॉ तो किससे व कितनी कितनी?	
6	सहायता एवं व्यय	

::- निष्कर्ष के आधार-::

विंदु क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष:-

लक्ष्मीबाई आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आववेदनपत्र के

अभिवचनों का समर्थन करते हुये यह बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने पति लालाराम तथा पवन और पुरषोत्तम मालनपुर से पैदल चलकर अपने गांव चक टुकेडा जा रहे थे । जैसे ही गुरीखा तिराहे के पास पहुंचे अनावेदक कं01 मैसी द्वेक्ट्रर जिसका नम्बर एम0पी006 एए6378 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और रोड के किनारे चल रहे लालाराम को पीछे से टक्कर मारदी जिससे उसके सिर व शरीर के अन्य जगह चोटें आयी और खून निकलने लगा । द्रेक्दर चालक द्रेक्दर को लेकर भाग गया । लालाराम को साथ के पवन और पुरषोत्तम जीप में डालकर गोहद अस्पताल लाये थे जहां उनका उपचार शुरू हुआ था और उसे ग्वालियर रेफर कर दिया था जहां दिनांक 17-4-13 को लालाराम की मृत्यु हो गयी । लालाराम की मृत्यु होने पर थाना कंपू को सूचना दी गयी जिस पर जांच उपरांत पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध धारा 304ए भा0द0सं0 का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है । आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण से संबंधित अभियोगपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02, अपराध विवरण प्र0पी03, संपत्ती जप्ती पत्रक प्र0पी0 4,5,6 , नक्शा पंचायत नामा प्र0पी० ७, गिरफतारी पत्रक प्र0पी०८, शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी०९, पुलिस कथन प्र0पी० १०, मैकेनिकल रिपोर्ट प्र0पी0 11, सुपुर्दगीनामा प्र0पी0 12 पेश की गयी हैं ।

- उक्त आवेदिका के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहां तक प्रश्न है उसने बताया है कि द्रेक्द्रर जिसने उसके पति को टक्कर मारी थी उसका नम्बर उसे नहीं पता । निश्चित तौर से उक्त साक्षिया जो कि अनपढ ग्रामीण महिला है उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह द्वेक्टर के नम्बर को पढ सके और याद रख सके । कण्डिका –8 में इस सुझाव से इन्कार किया है कि देक्दर से कोई दुघर्टना नहीं हुयी थी और देक्दर को झूठा फसाया गया है । निश्चित तौर से उक्त साक्षिया के कथन से उसके पति की द्रेक्टर से दुंध ार्टना होना एवं दुघर्टना के कारण घायल हो जाना जो कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रमाणित होता है ।
- जहां तक आवेदिकापक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी पुरषोत्तम आवेदिका साक्षी कं02 जो कि घटना के समय मृतक लालाराम के साथ ही जा रहा था के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि मालनपुर की तरफ से अनावेदक मुस्ताक द्रेक्द्रर मैसी एम0पी0 06एए 6378 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लालाराम को पीछे से टक्कर मारी जिससे लालाराम के शरीर पर चोटें आकर घायल हो गया और उसे गोहद अस्पताल ईलाज हेतु लाना और गोहद अस्पताल से ग्वालियर ईलाज हेतु ले जाना जहां कि दिनांक 17–4–13 को उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना बताया है । प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह ध

ाटना के समय मृतक के साथ ही था | द्रेक्टर वाला द्रेक्टर को लेकर घटना के बाद भाग गया था | इस बात से इन्कार किया है कि वो लोग भी द्रेक्टर में बैठे थे | घटना के समय आसपास के लोग भी आ गये थे और द्रेक्टर का नम्बर बताया था | इस प्रकार साक्षी जिसके द्वारा कि स्पष्ट रूप से प्रश्नाधीन द्रेक्टर का नम्बर बताया गया है और घटना के समय वह घटनास्थल पर ही मौजूद था अनावेदक क्रमांक—1 के द्वारा दुघर्टना कारित करना उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया है |

- 11. आवेदक पक्ष के द्वारा दुर्घटना घटित होने के संबंध में किये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि आपरिधक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि के आधार पर भी होती है, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्र.पी. 2, अपरिध विवरण प्र.पी. 3, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 4, 5, 6, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 7, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 8, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र. पी. 9, मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 11 और सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 12 तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अनावेदक क्मांक 1 के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोगपत्र अंतर्गत धारा 304ए भाठदंठवि० प्र.पी. 01 के आधार पर भी होती है जो कि उपरोक्त संबंध में पुलिस के समक्ष जॉच उपरोक्त कार्यवाही करते हुए अनावेदक क्मांक 1 के विरूद्ध घटना कारित करने की जानी के संबंध में साक्ष्य पाए जाने से उपरोक्त अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है।
- 12. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। यहाँ तक कि अनावेदक क्रमांक 1 जो कि उक्त संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था के प्रतिखण्डन में भी कोई कथन नहीं कराए गए है। ऐसी दशा में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रहा है।
- 13. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत नहीं लिखाई गई । ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 तथा प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर दुघर्टना कारित किये जाने का तथ्य मान्य नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 15.04.2013 के 07 बजे की होनी बताई जा रही है और दुर्घटना में मृतक लालाराम घायल हो गया था जिसे कि तुरंत इलाज करने हेतु गोहद लाया गया था और तत्पश्चात् उसे जे.ए.एच. ग्वालियर भेजा गया था जहाँ कि दिनांक 17.04.2013 को उसकी मृत्यु हुई है और जे.ए.एच. ग्वालियर से पुलिस थाना कम्पू को सूचना दी जाने के उपरांत मर्ग कायक कर जॉच की जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है। निश्चित तौर से दुर्घटना घटित होने के पश्चात् पीडित एवं उसके परिजनों का ध्यान मुख्य रूप से

उसका इलाज कराने में रहता है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराए, बल्कि उन्हें प्रथम प्राथमिकता घायल के इलाज की होती है। ऐसी दशा में यदि रिपोर्ट तुरंत नहीं भी लिखाई गई है तो इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

14. प्रकरण में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं पुलिस के द्वारा की गई जॉच के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक कमांक 1 के द्वारा टैक्टर कमांक एम.पी. 06 ए2378 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने एवं लालाराम को टक्कर मारकर चोट पहुँचाकर एवं उक्त चोटों के फलस्वरूप लालाराम की मृत्यु दिनांक 17.04.2013 को हो जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। तद्नुसार बिन्दु कमांक 1 व 2 का निराकरण कर उत्तर "हॉ" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 03:-

15. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर घटना दिनांक को बीमा पॉलसी एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लघन कर चला जा रहा था। किन्तु इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की र्ग किया गया है। ऐसी दशा में जबिक वर्तमान बिन्दु का प्रमाणन करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर था उसके द्वारा इस बिन्दु पर साक्ष्य पेश न करने की परिप्रेक्ष्य में वर्तमान बिन्दु प्रमाणित न होने से उत्तर ''नहीं'' में दिया जाता है।

बिन्दू क्रमांक 04:-

16. आवेदिका लक्ष्मीबाई आवेदक साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने साक्ष्वय में बताया है कि उसके पित बाराहेट तिराहे पर जूता मरम्मत कर के प्रतिदिन 500/— रूपए की आय अर्जित कर लेता था। इस प्रकार एक माह में 15000/— हजार रूपए आमंदनी अर्जित कर लेता था। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में आवेदिका को पूछे जाने पर उसके द्वारा बताया गया है कि पित के जूते बनोन की दुकान बाराहेट पेड़ा पर थी, दुकान के संबंध में कोई लिखापढी और रिजस्ट्रेशन उसके पास नहीं है। मृतक लालाराम के द्वारा जूत के मरम्मत आदि कर पांच सौ रूपए प्रतिदिन अर्जित किया जाने के संबंध में आवेदिका के कथन की पुष्टि किसी भी अन्य साक्ष्य के आधार नहीं हुई है। इस संबंधम अवेदिका के द्वारा आमंदनी अर्जित करने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पासबुक आदि पेश नहीं किया गया है जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि पांच सौ रूपए प्रतिदिन अर्जित कर लेता था। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में जूते की मरम्मत का कार्य कर पांच सौ रूपए प्रतिदिन कमा लेना अतिसंयोक्ति लगता है। ऐसी

दशा में मृतक लालाराम जूते की मरम्मत कर पांच सौ रूपए प्रतिदिन कमा लेने के संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा किया गया अभिवचन प्रमाणित नहीं होता है। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का अप्रमाणित रहता है।

- 17. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया गया है कि अनावेदक कमांक 1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई जिसमें कि लालाराम की मृत्यु हुई। उक्त वाहन टैक्टर अनावेदक कमांक 2 के स्वामित्व का रहा है जिसके द्वारा वाहन को सुपुर्दगीनामे पर लिया गया है। उक्त वाहन अनावेदक कमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित होने का तथ्य भी प्रमाणित है। ऐसी दशा में जबिक उक्त वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित कर लालाराम की मृत्यु कारित की जानी पाई जाती है। आवेदक कमांक 1 मृतक लालाराम की पत्नी है और आवेदक कमांक 2 लगायत 7 उसके पुत्र व पुत्रियाँ है जो कि उसके वारिस स्पष्ट है। उक्त वारिसों की कोई भी अपनी स्वतंत्र आमंदनी अर्जित कर रहा हो ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है, बिल्क सबसे बाड पुत्र कल्लू 20 साल का होना बताया गया है उसके भी कोई अलग से आमंदनी है ऐसा भी दिर्शित नहीं है। इस प्रकार सभी आवेदकगण मृतक लालाराम के वारिस है।
- 18. दुर्घटना के समय मृतक लालाराम की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदिका लक्ष्मीबाई के द्वारा यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसके पित की उम्र 40 वर्ष की थी, लेकिन पित की उम्र दुर्घटना के समय 40 वर्ष की होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण आवेदक पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वंय आवेदक पक्ष के द्वारा मृतक लालाराम के शव का नक्शा पंचायतनामा तथा सव परीक्षण रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त दोनों ही दस्तावेजों में मृतक लालाराम की उम्र 50 वर्ष की होनी दर्शाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में जबिक आवेदकगण के द्वारा मृतक लालाराम की उम्र के संबंध में कोई प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है उसकी उम्र दुर्घटना के समय 50 वर्ष की होनी निर्धारित की जाती है।
- 19. मृतक लालाराम की आमंदनी का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिवचन में यह बताया गया है कि जूता मरम्मत कर काम उसके द्वारा किया जाता था। जूता मरम्मत से पांच सौ रूपए प्रतिदिन की आय अर्जित होने का तथ्य यद्यपि प्रमाणित नहीं है, किन्तु निश्चिततौर से मृतक जो कि अधेड उम्र का व्यक्ति है वह जूता मरम्मत का कार्य कर या किसी अन्य प्रकार से मजदूरी आदि का कार्य कर 3500 / रूपए प्रति माह आय अर्जित कर लेता है, यह मान्य किया जा सकता है।

मृतक पर आश्रितों की संख्या 7 है इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 20. के द्वारा सरला वर्मा वि० देहली द्वांसपोर्ट कार्पोरेशन २००९ ए.सी.जे. १२९८ में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप जो कि 6 से अधिक है कुल आमंदनी का 1/5 भाग स्वयं पर व्यय करता। इस प्रकार स्वयं पर व्यय आय का 700/- रूपए हुई और आमंदनी नुकसान के मद में 3500-700 = 2800 / - रू0 प्रतिमाह होगा जो कि वार्षिक $2800 \times 12 = 33600 / - रूपए$ कुल राशि में मृतक की उम्र के अनुसार जो कि 50 वर्ष की होनी अभिनिर्धारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त सरला वर्मा के न्याय दृष्टांत में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप 13 का गुणांक लगेगा। इस प्रकार आमंदनी के नुकसान के मद में कुल प्रतिकर की राशि 4,36,800 / - रूपए होगी। इसके अतिरिक्त आवेदक क्रमांक 1 जो कि मृतक की पत्नी है उसे सहचर्य के नुकसान के मद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राजेश वि० राजबीर 2013 ए.सी.जे. 1430 एस.सी. में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 1,00,000 / – रूपए प्रदान किया जाएग तथा अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 25000 / - रूपए भी दिलाए जाना उचित प्रतिकर होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 5,61,800/- रूपए होगा। कुल प्रतिकर की राशि में आवेदकगण दावा प्रस्तुत दिनांक से बसूली तक 6% व्याज भी पाने के अधिकारी है। प्रतिकर की राशि अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है उक्त वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा दुर्घटना के समय चला जा रहा था तथा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था एवं वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। इस प्रकार प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदकगण का संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से होगा। तद्नुसार कुल प्रतिकर की राशि 5,61,800 / - रूपए जो कि राउण्ड फिगर 5,62,800 / - रूपए आवेदगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है। तद्नुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

- 21. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात् आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है—
- 1. आवेदगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक—प्रथक रूप से 5,61,800/— रूपए जो कि राउण्ड फिगर में 5,62,000/— रूपए निर्धारित की जाती है। उक्त प्रतिकर की राशि पर आवेदकगण दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने के अधिकारी होगे।

- प्रतिकर की राशि जमा होने पर उसमें से 200000/- रूपए मृतक की पत्नी आवेदक क्रमांक 1 श्रीमती लक्ष्मीदेवी को दिलाए जावे तथा शेष बची हुई प्रतिकर की राशि में से 1/6-1/6 भाग आवेदक क्रमांक 2 लगायत 7 प्राप्त करने के अधिकारी होगे। आवेदिका कमांक 1 लक्ष्मीदेवी को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि में से 50 प्रतिशत भाग पांच वर्ष की अवधि के लिए और 25 प्रतिशत भाग 7 वर्ष की अवधि के लिए उसके नाम पर सावधि जमा खात में जमा की जावे जिससे प्राप्त होने वाले व्याज को त्रैमासिक रूप से अपने बच्चों के भरण-पोषण हेतु प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। शेष 25 प्रतिशत भाग बचत खाते से नगद प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। आवेदक क्रमांक 3 लगायत 7 जो कि नावालिक है उनको प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि उनके बालिक होने तक उनकी माँ श्रीमती लक्ष्मीदेवी की सरपरस्त में राष्ट्रीकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किये जावे। उक्त राशि पर प्राप्त होने वाला व्याज उक्त बच्चों के भरण-पोषण हेतु त्रैमासिक रूप से आवेदक क्रमांक 1 प्राप्त करने की अधिकारिणी रहेगी। आवेदक क्रमांक 2 को प्राप्त होने वाली राशि का 60 प्रतिशत भाग पांच वर्ष की अवधि के लिए सावधि खाते में जमा किए जाए और शेष 40 प्रतिशत भाग बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान किया जाए।
 - अभिभाषक शुल्क एक हजार रूपए निर्धारित किया जाता है। तद्नुसार व्यय तालिका तैयार हो।

अवार्ड खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी० थपलियाल) अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0 थपलियाल) अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहदं जिला भिण्ड